रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 619] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 1971/अग्रहायण 26, 1893

No. 619] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 1971/AGRAHAYANA 26, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Internal Trade)

(Civil Supplies Organisation)

ORDER

New Delhi, the 17th December 1971

S.O. 5504.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (xi) of clause (a) of section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby declares the following commodity to be an essential commodity for the purposes of the said Act, namely:—

"Textiles made wholly or in part from man-made cellulosic and non-cellulosic staple fibres."

[No. 26(4)/CS-II/71.]

R. K. TALWAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(आंतरिक व्यापार विभाग)

(सिविलपूर्ती संगठन)

आदेश

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1971

का० आ० 5504.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (xi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित वस्तु को आवश्यक वस्तु के रूप में एतद्द्वारा घोषित करती है, अर्थात् :—

"मानव द्वारा निर्मित सेलुलोजी और सेलुलोजी इतर स्टैपल तन्तुओं से पूर्णतः या भागतः बने हुए वस्त्र ।"

[सं० 26(4)सी० एस०-II/71]

आर० के० तलवार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971